संख्या- 2/2016/2321/78-2-2015-21आई.टी./04टी.सी.

प्रेषक,

महेन्द्र प्रसाद भारती,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, (सीएससी ई-गवर्नेन्स ग्रुप)
इलेक्ट्रानिक्स निकेतन,
6, सीजीओ काम्पलेक्स,
नई दिल्ली-110003

आई.टी. एवं इले. अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 30 दिसम्बर, 2015

विषय:- सी.एस.सी. योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 में राज्य सरकार को अवमुक्त धनराशि रू.35,50,00,000.00 का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या-3(114)/2006-ईजीपीएमयू दिनांक 71.03.2015 के संदर्भ में सीएससी योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 में राज्य सरकार को अवमुक्त की गयी धनराशि रू.35,50,00,000.00 के उपयोगिता प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

संख्या:2/2016/2321(1)/78-2-2015 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. राज्य समन्वयक, सीईजी, गोमती नगर, लखनऊ।
2. उप महाप्रबन्धक, सीईजी को उनके पत्र सं.-सीईजी/जी/31/716/2015-16 दिनांक 22.12.2015 के संदर्भ में।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in